

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबल संस्थान परिषद, दूर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं 0141-2722520

क्रमांक: प.14(159)RSSB / अर्थना / प्र.सुवि. / च.अ.क. / भर्ती / 2024 /

दिनांक :

विज्ञापन सं. 19 / 2024

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024

प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य रूपी) नियम, 1999 यथा संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य रूपी) नियम, 2014 के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 52,453 (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 46,931 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 5522) के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निर्देशनों के अध्याधीन ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं :—

क्र. सं.	विभाग का नाम	भर्ती सेवा नियम/उपविधियों जिनके तहत पदों की भर्ती की जानी है	पद का नाम	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल पद
1.	प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए	राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य रूपी) नियम, 1999 यथा संशोधित	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	46931	5522	52453

विशेष नोट :-

(1) Online Application Form में समस्त वालित सूचना अवश्य अप्रिक्त करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र विना किसी पूर्ण सूचना के रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा एवं उसकी उम्मीदवारी किसी भी रूप पर निरस्त की जा सकेगी एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी रुपय आवेदक की होगी। गलत/असत्य सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार के त्रैमाणिक में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

1. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:- शोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form माध्यम से ही प्राप्त किये जाएंगे जिन्हें राज्य के अधिकृत/निर्धारित हूं-मित्र कियोर्सक/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अन्यथी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेये। तदुपरान्त ही अन्यथी ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:—

1. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अन्यथी को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल <http://rssb.rajasthan.gov.in> अथवा <http://rssb.rajasthan.gov.in> पर Recruitment Advertisement पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ पोर्टल <http://sso.rajasthan.gov.in> से Login करने के उपरान्त Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। इसके बाद अन्यथी Apply Now पर क्लिक करेगा। यदि अन्यथी द्वारा OTR (One Time Registration) का एकदारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अन्यथी को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration) टैब पर अपनी श्रेणी (Unreserved (UR) अथवा Reserved (EWS/OBC-NC/MBC-NC/SC/ST/SAH)) श्रेणी, दिव्यागता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके निर्धारित शुल्क का मुग्यतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अन्यथी को OTR (One Time Registration) के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यागता की स्थिति व गृह राज्य के अनुलेप ही Options भरने हेतु मिलेंगे। अतः अन्यथी OTR (One Time Registration) प्रक्रिया को साक्षात्कार से भरें। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अन्यथी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो (01 माह से अधिक

Signature valid

RajKaj Ref
12403987



Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.12 17:03:27 IST
Reason: Approved

पुरानी न हो) अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में दृश्य चिन्ह (visible mark) भरना अनिवार्य है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा जिस हेतु उसके पास निम्नलिखित सत्यापन विधियों में से किसी एक विधि का चयन करने का विकल्प उपलब्ध होगा :-

i. आधार कार्ड आधारित सत्यापन:-

- यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके OTR (One Time Registration) जेनरेट करता है, तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
- यदि OTR (One Time Registration) SSO/जन-आधार के माध्यम से जेनरेट होता है, तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा :-
अभ्यर्थी स्वयं का आधार नंबर दर्ज करें और पिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी (अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम, और जन्मतिथि) का सत्यापन किया जावेगा।

ii. यदि आधार कार्ड नहीं है, तो अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद अभ्यर्थी निम्नलिखित तीन में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं का नाम, पिताजी का नाम, और जन्मतिथि (प्रोफाइल विवरण) को सत्यापित करेगा :-

- मूल प्रमाण पत्र विकल्प:- अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगा उसके पश्चात 'Each' बटन पर क्लिक करने पर डोमिसाइल/शोनाकाईड प्रमाण पत्रों (मूल प्रमाण पत्र) के दाटा से सत्यापित किया जाएगा।
- डिजिलॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प :- अभ्यर्थी अपने दसवीं कक्षा के बोर्ड का नाम, रोल नम्बर व यह जिस वर्ष में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है, उसका विवरण दर्ज कर स्वयं सत्यापित करेगा।
- यदि अभ्यर्थी उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी:- "मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से डेढ़ दिन पहले परीक्षा केन्द्र पर बायोमैट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊँगा/ होऊँगी"।

उक्तानुसार सत्यापन हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन भर सकेगा। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेंगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होंगी। ई-मित्र संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई गलत प्रविष्टि की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की गलती ही माना जायेगा। आवेदन पत्र को Final Submit करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जेनरेट हो जायेगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिन्ट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए।

- अभ्यर्थी एकाधारीय पंजीयन शुल्क का नुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संदर्भित Transcation के लम्बित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- अभ्यर्थी अपने स्वयं का ही मोबाइल नम्बर एवं स्वयं की ई-मेल आईडी दर्ज करें तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे नहीं बदलें। ज्ञातव्य रहे कि महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी पर ही नेजी जाती है। आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें। अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।
- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID) अकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन का Submit होना नहीं माना जायेगा।
- अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। ई-मित्र हेल्पलाइन नम्बर 0141-2221424/2221425 एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाइन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।
- अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी समस्याओं/शिकायतों को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। इस हेतु सिटीजन कॉल सेंटर टोल फ़िल नम्बर 181 पर भी शिकायत दर्ज कराने एवं उसकी सूचना प्राप्त करने की नियमित सुविधा है।

Signature valid

RajKaj Ref
12403987

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.27 07:03:27 IST
Reason: Approved

९. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में गलत सूचना देने/तथा छुपाने पर बोर्ड अधिकारी पर नियमानुसार कार्रवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

१०. समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट <rssb.rajasthan.gov.in> एवं <rssb.rajasthan.gov.in> के माध्यम से प्रकाशित/सूचित की जायेगी। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें। अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

२. एकबारीय पंजीयन शुल्क—कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एकबारीय पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) ऑफान पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मिट्र कियोस्ट या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से घयन बोर्ड को ऑनलाईन जमा कराये।

(क) सामान्य वर्ग व कीमतेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु —रुपये 600/-

(ख) राजस्थान के नौन कीमतेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु —रुपये 400/-

(ग) समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु —रुपये 400/-

नोट—

१. राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, को इस भर्ती प्रक्रिया के लिये सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा।

२. पूर्व में एकबारीय पंजीयन शुल्क (OTR) जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दुबारा शुल्क देय नहीं होगा।

३. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है—

(क) गैर अनुसूचित क्षेत्र—

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य विभिन्न वर्ग				आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग				वात्र लिखे जाने वाली जाति/जनजाति							
	सामान्य	समान्य महिला	विषय	परिवर्का	सामान्य	समान्य महिला	विषय	परिवर्का	सामान्य	समान्य महिला	विषय	परिवर्का	सामान्य	समान्य महिला	विषय	परिवर्का	सामान्य	समान्य महिला	विषय	परिवर्का	सामान्य	समान्य महिला	विषय	परिवर्का				
46831	12460	3752	1137	273	4912	1522	417	90	3853	1208	351	68	6431	2938	563	144	1715	630	133	18	3504	1086	320	48	164	53	10	1

क्षेत्रिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)

दिव्यांगजन				भूतपूर्व सैनिक								उत्कृष्ट विलासी	
दृष्टिहीन (B/LV)	मूकवापिर (HI)	अस्थिय विकृत (LD/CP)	ID, MI, SLD & Autism	GEN 36%	SC 16%	ST 12%	OBC 21%	MBC 5%	EWS 10%	Karma Schedule	Signature		
नियमित	485	448	541	419	2525	922	724	1088	489	641	0	792	
करीफोरवर्ड/वैकल्पिक	*1	*1	*3	*0	*9	*4	*2	*4	*0	*1	0	0	
कुल	486	449	544	419	2534	926	726	1092	489	642	0	792	

(ख) अनुसूचित क्षेत्र—

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
	सामान्य	समान्य महिला	विषय	परिवर्का	सामान्य	समान्य महिला	विषय	परिवर्का	सामान्य	समान्य महिला	विषय	परिवर्का
5522	2022	839	153	33	187	44	10	1	1636	450	120	27

Signature valid

RajKaj Ref
12403987

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.12 17:03:27 IST
Reason: Approved

नोट:- अनुसूचित जनजाति पुरुष के 07, अनुसूचित जनजाति सामान्य महिला के 02, अनुसूचित जनजाति विद्या के 01 पद बैंकलौंग के हैं जो उपरोक्त पदों में सामिल हैं।

स्थिति आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)							
दिव्यांगजन				भूतपूर्व सीनिक			उत्कृष्ट खिलाड़ी
	दृष्टिहीन (B/LV)	मूकबधिर (HI)	अस्थि विकृत (LD/CP)	ID, MI, SLO & Autism	GEN 50%	SC 5%	ST 45%
नियमित	56	48	69	43	400	60	238
बैंकलौंग	*0	*0	*0	*0	*2	*0	*1
कुल	56	48	69	43	402	60	239

नोट-

- गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विलम्ब अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं। यदि अस्थिर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अस्थिर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा किस क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अस्थिर्थी को अनुसूचित क्षेत्र के पदों के एवज में चयनित माना जायेगा।
- अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक औनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अपनी श्रेणी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में उल्लेख नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
- महिला, भूतपूर्व सीनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण स्थिति (Horizontal) होगा।
- पिङापन जारी होने के उपरान्त पिङापित पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम से पूर्व तक कमी या बढ़ोतरी करने का अधिकार साज्ज सरकार/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सुरक्षित है तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

विशेष प्रावधान/सूचना-

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अस्थिर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
 - कार्मिक (क-2) पिभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भत्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अस्थिर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को अधिकतम पश्चात्वती तीन भत्ती दर्जों के लिए असेप्टिक किया जायेगा। तीन भत्ती दर्जों की समाप्ति के पश्चात ऐसी असेप्टिक की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भत्ती वर्ष में भत्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भत्ती वर्ष को इस प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। परन्तु इस प्रावधान के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्तियों पश्चात्वती दर्जों में उपलब्ध हो।
 - राजस्थान के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अस्थिर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
 - महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण स्थिति (Horizontal) प्रदर्शनुसार (Category wise) होगा। महिला अस्थिर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रदर्शन में जिनकी यह महिला आवेदक हैं, पहले महिला कोटे में समायोजित किया जाएगा।
- संपष्टीकरण— विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेवर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पिता के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र इस प्रयोजन हेतु अमान्य होगा।

Signature valid

RajKaj Ref
12403987

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.27 07:03:27 IST
Reason: Approved

5. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.01.2016 के अनुसार महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह-विछिन्न महिला) श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि विज्ञापित पदों के लिये पर्याप्त विधवा अम्बर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा श्रेणी के लिये आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह-विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अम्बर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। पात्र तथा उपयुक्त महिला अम्बर्थी के उपलब्ध ना होने की दशा में उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों उस प्रवर्ग के पुरुष अम्बर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिये रिक्तियों आरक्षित है। महिला अम्बर्थियों के लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ग के लिये अद्येति नहीं की जायेगी। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विवाह संपन्न होने की दशा में पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह-विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिकी की न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। परित्यक्ता महिला (विवाह-विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिकी इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।
6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीपानी अपील संख्या 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.वी.विशेष अपील (रिट्स) संख्या 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अर्थात् अन्य राज्य की महिला जो विवाहीपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे सार्वजनिक नियोजन में एससी/एसटी/ओवीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
7. अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (12)/विवि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के डाति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 95 प्रतिशत आरक्षण देय है।
8. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
9. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक/अम्बर्थी पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
10. राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अम्बर्थी जो अन्य राज्यों/कन्द्रशासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, को इस भर्ती प्रक्रिया के लिये सामान्य वर्ग का अम्बर्थी माना जायेगा। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
11. बारां जिले की सहरिया आदिम जाति के अम्बर्थी को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार बारां जिले में सहरिया जाति के लिये निर्धारित आरक्षण का लाभ देय होगा, अन्यथा सामान्य श्रेणी में माना जायेगा।
12. भूतपूर्व सैनिकों हेतु :-
- (क) भूतपूर्व सैनिकों के आप्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
- (ख) भूतपूर्व सैनिक :-
- (1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" श्रेणी से कम श्रेणी का नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति संबंधी दस्तावेज में दर्शाया गया हो।
 - (2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे पश्चात्वी नियोजन के लिये अहंक बना दे।
- भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगेलन) नियम, 1988 के ग्रावचानो के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार (क्लिपिंग) होगा। किसी वर्ग विशेष में

Signature valid

RajKaj Ref
12403987

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.12 17:03:27 IST
Reason: Approved

पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अप्रेषित की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तिया व्यपगत हो जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 5(18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट-II दिनांक 17.04.2018 यथा संशोधित एवं 22.12.2020 में वर्णित प्रावधान भी लागू होंगे।

- कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(18) डीओपी/ए-II/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा।
- कोई व्यक्ति जो अपनी पेशान अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाणपत्र (एनओसी) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकता है और उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुमति किया जावेगा।"
- "यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अंडक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कही भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विडित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।";
- यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी रिखति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अप्रेषित की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तिया व्यपगत (Lapse) हो जायेगी।
- किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रारिधिति (Status) छो देगा और वह केवल लोकसेवक (Civil Employee) के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के विस्तीर्ण पद पर पुनर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समझा जायेगा, परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जायेगा परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिये आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिसके लिये उसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन की तारीख वार ब्यूरों के बारे में स्वतः घोषणा पत्र/बचन बंधपत्र देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे भूतपूर्व सैनिक प्रधार्ण के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमितक/संविदा/अस्थाई/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रधार्ण के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा।

13. **उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु:-** उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पात्रता रखने वाले अभ्यार्थियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% आरक्षण देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण हैटिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु यात्र एवं उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद

RajKaj Ref
12403987

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.27 17:03:27 IST
Reason: Approved

को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी विकित पश्चात्यती वर्ष के लिए अधिकृत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार नीचे दी गयी तालिका में वर्णित योग्यता रखता हो। यदि कोई अभ्यर्थी उक्त वर्णित योग्यता से इतर कोई अन्य योग्यता रखता है तो ऐसे व्यक्ति को अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आवृत्ति पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्राकघान-कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार 'उत्कृष्ट खिलाड़ी' से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रैत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने

- उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिश: या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

क्र.सं.	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था 2	टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप का नाम 3
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सीक गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैम्पियनशिप
7	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप

- स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिश: या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;
या
- इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिश: या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;
या
- एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिश: या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;
या
- इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैम्पियनशिप/पैरा नेशनल चैम्पियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिश: या टीम स्पर्धा में साजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।

नोट— उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में वही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त विन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अन्तर्गत खेल प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये हों। यदि किसी अभ्यर्थी ने जान-बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अकित की है, तो वोड़े द्वारा ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।

Signature valid

RajKaj Ref
12403987

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.27 07:03:27 IST
Reason: Approved

14. दिव्यांगजन (निश्चकतजन) के लिये :-

- a. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणी के दिव्यांगजन को आरक्षण का लाभ देय है
—
- i. B/LV (Blindness/ Low vision)
 - ii. HI(Hearing Impairment)
 - iii. LD/CP (Locomotor Disability) Including Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims & Muscular dystrophy
 - iv. Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental illness.
 - v. Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to (iv) including deaf- blindness in the posts indentified for each disabilities.
- b. दिव्यांगजन के लिये दर्शाएं गए आवश्यित पदों का आरक्षण भी शीतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग/ अधिकारी रूप से कमज़ोर वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समाविहित किया जाएगा।
- c. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहाँ किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अप्रोप्रियत की जाएगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमत दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तर्स्परिदर्तन (Interchange) कर भवा जाएगा। यदि उस वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अवधार अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- d. दिव्यांगजन आवेदक Online application form में राजस्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष जा अवश्य उल्लेख करें। दिव्यांगजनप्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।
- e. ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित विक्रित्स प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र (Permanent Disability Certificate) में दिव्यांगजन का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निश्चकता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मैडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निश्चकता (दिव्यांगजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आवधित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।
- f. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6(B) में किए गए प्राक्षण के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में “यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रस्तुतपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/ या कुल अंक, जहाँ उसी भी निहित किये गये हों, तो पात्र प्रतिशत का लिंगिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा।”

4. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिवेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सदभावी निवासी है और जो रखवा या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सदभावी निवासी रहे हैं। कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सदभावी निवासी है।
2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.13(20) कार्मिक / क-2/ 91/ पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मन्त्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्त) नियम-2014 के अंतीम होगा। जहाँ पर हन नियमों में स्पष्ट प्राक्षण नहीं है, यहाँ पर उपरोक्त विभाग के नियमों के प्राक्षण लागू होंगे।
4. अनुसूचित क्षेत्र भारत के नहामहिम राष्ट्रपति, द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के कम में कार्मिक (क-2) विभाग ने अपने परिपत्र कमांक प.13(20) कार्मिक / क-2/ 91/ पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के पिंडि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 (बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विरुद्धित (Rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिर्दित (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों को

Signature valid

RajKaj Ref
12403987

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.27 07:03:27 IST
Reason: Approved

सलाह दी जाती है कि ये नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही आनलाइन आवेदन भरते समय अनुसूचित क्षेत्र के कौलम में सही प्रविष्टि करें।

नोट—अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेशन, विवाह पंजीयन, पंजीयन शुल्क जमा करने एवं औनलाइन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण—पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं रकीम संबंधी प्राक्षयन गैर—अनुसूचित क्षेत्र के समान व्यापक लागू होंगे।

5. वेतनमान:—राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतनमान के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 1 देय है। परिवेश काल में गतिक नियत पारिशासिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।

6. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:—

Secondary from a recognized Board or its equivalent examination

जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या समिलित हो रहा है, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह/उसे उपर्युक्त चयन एजेंसी की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।—

1. मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है,
2. साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।
3. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो।

नोट—इस भर्ती हेतु नियांरित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में समिलित होने वाले हैं या समिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे परंतु नियांरित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

अन्य योग्यताएँ :—

(1) स्वास्थ्य— उक्त पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पदके रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह व्यक्तिकर कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र लाए जाने के मुख्य विकल्पा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मैडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिसमें सामान्यतः वह नियास करता है।

(2) चरित्र— सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्बृहित का प्रमाण पत्र ऐसे विश्विद्यालय, रूकूल या कौलेज जहाँ उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन—पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के शिक्षादान द्वारा दिये हुये नहीं हो।

7. राष्ट्रीयता :—

1. (क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ) ऐसा लिक्ती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से वसने के दिवार से आया था, या
(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से वसने के दिवार से पाकिस्तान, म्यामार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों कीनिया, मुगान्डा और संयुक्त तजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जजीबार), जान्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

एवन्तु शांत यह है कि बिन्दु संख्या 7(1) में उल्लिखित वर्ग (ख),(ग),(घ) और (ङ) प्रवर्गों का कोई अन्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके हक में भाषत सरकार ने पात्रता प्रमाण—पत्र दे दिया है।

ऐसे अभ्यर्थियों के जिनके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, वोई या अन्य किसी भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने दिया जा सकेगा या साक्षात्कार के लिये बुलाया जा सकेगा तथा उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने के अध्यधीन अननियम तौर पर नियुक्त भी किया जा सकेगा।

Signature valid

RajKaj Ref
12403987

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.27 07:03:27 IST
Reason: Approved

2. अन्य देशों से भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आये व्यक्तियों की पात्रता की बात—इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु साधीयता, आयु सीमा, फीस तथा अन्य रियायतों संबंधी उपचार, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होगे जो सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाये और ऐसे आदेशों या अनुदेशों को भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जायेगा।
- 8. आयु:**—आवेदक 1, जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। नियमों में उल्लेखित अनुसार अधिकार करने की अतिम उम्र के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की मण्डा की जाएगी। अत आवेदकों की आयु की मण्डा 01.01.2026 से की जाएगी।

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी—

1. सरकार के प्रतिमर्श से नियुक्ति प्राप्तिकारी द्वारा असाधारण मामलों में कापर उल्लिखित उपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जा सकती है।
2. आयु सीमा ने छूट के प्राप्तान—
 - (क) सामान्य वर्ग की महिला अधिकारीयों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
 - (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष अधिकारीयों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
 - (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला अधिकारीयों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
3. एन सी सी के कैंडेट प्रेसिडेंटों के मामले में उपर्युक्त वर्गित अधिकार आयु सीमा में उनके द्वारा एन सी सी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिशामिक आयु विहित अधिकार आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।
4. रिजिस्टरी अधिकारी रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों एवं भूतपूर्व सेविकों के लिए अधिकार आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
5. भूतपूर्व कौटी जो दण्डित होने से पूर्ण राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकार आयु सीमा लागू नहीं होगी।
6. उस भूतपूर्व कौटी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धी के पूर्ण अधिकार नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपरिवर्गित अधिकार आयु सीमा में उसके द्वारा नुकस कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी।
7. 01.03.1963 को या उसके बाद वर्षों, श्रीलंका से वापस आये व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लिखित उपरी आयु सीमा में 45 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। पूरी अफ़्रीकी देश कीनिया, टांगानिका, युगांडा और जंजीबार से सप्तव्यापर्तित व्यक्तियों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।
8. बंगलादेशी भूतपूर्व सेवा (भूतपूर्व सेविकों का आमेल) अधिनियम, 1976 (1976 का कोटीव अधिनियम) के तहत पहचाने गए और रिठा किए गए परिवार के नवदत्त के मामले में, उपरी आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट होगी।
9. राजस्थान रिविल सेवा (भूतपूर्व सेविकों का आमेल) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सेविकों को अधिकार आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात यदि अनुज्ञा आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो उपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होली जिन्हें सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है यहां 55 वर्ष की अधिकार उपरी आयु सीमा लागू होगी। स्पष्टीकरण कार्मिक (क-2) विभाग के परिवर्त दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान रिविल सेवा (भूतपूर्व सेविकों का प्राक्कानों के होसे हुए भी किसी भर्ती की संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य सांकेतिक रोकों/अधिकारीयों को देय है, वह भूतपूर्व सेविकों को मिलेगा।
10. विवाही और विवाह—विहित महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निहित की गई सेवानियुक्ति आयु से उसकी आयु कम हो।
11. **स्पष्टीकरण—** विधया महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राप्तिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण—यत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह—विहित महिला के मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. राजस्थान दिव्यागजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021, के नियम 6(A) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में नियोजित अधिकार आयु सीमा में दिव्यागजनों को 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के दिव्यागजनों को आयु सीमा में छूट सेवा नियमों में नियारित आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

Signature valid

RajKaj Ref
12403987

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.27 07:03:27 IST
Reason: Approved

गोट-

- (क) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 यथा संशोधित एवं समय-समय पर साज्य सरकार द्वारा जारी सांख्यन्, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।
- (ख) उपरोक्त पैरा 8 के प्रावधान संख्या 1 से 10 तक वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 1 से 10 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को चौड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- (ग) राजस्थान सेवा के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानियुक्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिये नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9.पेशन:-नये नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देख पेशन योजना लागू होगी।

10.विवाह पंजीयन:-शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13 / 2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

11.पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि:-

- (क) यदि आवेदक द्वारा OTR (One Time Registration) का एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, एटीएम, कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 21.03.2025 से दिनांक 19.04.2025 को रात्रि 23.59 बजे तक जमा कराया जा सकता है।
- (ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 21.03.2025 से दिनांक 19.04.2025 को रात्रि 23.59 बजे तक बोर्ड की वेबसाईट पर भरे जा सकते हैं (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)। आवेद को को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।

12.परीक्षा आयोजन :-

- बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 18 से 21 सितम्बर, 2025 को कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) / टेबलेट आधारित परीक्षा (TBT) / ऑफलाईन (ओ.एम.आर.) आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है।
- बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उसमें सामान्यीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

13.प्रवेश पत्र:-बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से ही आनेलाईन प्रवेश-पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाईट पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं SSO ID इयान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के अध्यार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं Whatsapp मोबाईल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

14.अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में :-सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी उपकरणों में नियुक्त हैं, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए। आवेदक को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के समय नियोक्ता विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत करनी होगी।

15.नियुक्ति की अयोग्यताएँ :-

- किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष सेवियाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दीजा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

Signature valid

RajKaj Ref
12403987

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.27 07:03:27 IST
Reason: Approved

- (3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया है।
- (4) कार्मिक यिनाम की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हों, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु
- दो से अधिक संतान वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोत्तरी नहीं होती है।
 - जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक ही संतान है किन्तु पश्चातकी किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा हो जाती है वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।
 - किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निश्चितता से ग्रस्त हो।
 - कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिये निरहित नहीं है, उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
 - इस उप-नियम के उपर्युक्त किसी विधया और विविधन-विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।
- (5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या कॉट-छाट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए स्वाईरूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debanded) कर दिया जायेगा।

16. आवेदन कैसे करें:-

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट- राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की कीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान संघ से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर एवं नैन कीमीलेयर)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

कृपया ध्यान दे:-

- आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ-साथ, संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएं। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाहीं आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूरी भरी गई हैं। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अस्था ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुधारा नहीं ही जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अन्यर्थी का Online Application Form प्रस्तुत(Submit)करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करे अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अन्यर्थी को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।
- किसी भी प्रतियोगी/पात्रता परीक्षा में बहित (Debar) किये गये आवेदक जिनके बहित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते।

Signature valid

RajKaj Ref
12403987

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.27 17:03:27 IST
Reason: Approved

5. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में सशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
6. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगे, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अब उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ बोर्ड द्वारा सही मान ली गई हैं। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जांच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की रिक्ति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसृचित जाति/अनुसृचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक या अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
7. अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सम्बन्ध के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाईट www.rssb.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

8- फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश

फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- फोटोग्राफ और हस्ताक्षर त्याप्त नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम 01 माह पुराना) अपलोड करनी चाहिए। मोबाइल या अन्य स्मार्ट डिवाइसों का उपयोग नहीं करें।
- फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
- फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह धेरना चाहिए।
- फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, ऊँख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
- यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्मे पर छमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
- फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज $3.5 \text{ cm} \times 4.5 \text{ cm}$ होनी चाहिए।
- फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240×320 एवं अधिकतम 480×640 (0.3 मेगापिक्सल) होना चाहिए।
- फाईल का आकार 50 के बी. से 100 के बी. तक होना चाहिए।
- स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपरिधित पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

9. हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी छोड़ाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
- हस्ताक्षर के बाले आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
- आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात अपलोड करें।
- परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपरिधित पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर आपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।

RajKaj Ref
12403987

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.27 07:03:27 IST
Reason: Approved

- c. जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280×80 से अधिकतम पिक्सेल 560×160 होना चाहिए।
- d. फाईल का आकार 20 के बीच से 50 के बीच तक होना चाहिए।
- e. हस्ताक्षर का आकार 50 के बीच से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- f. मोबाइल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

विशेष टिप्पणी:-

1. परीक्षा के पश्चात् संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी (Answer Key) बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जाकर आपतियां आमत्रित की जायेगी। प्रत्येक आपति के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100/- रु जमा करना अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया आपति आमत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जावेगी।
2. परीक्षा देने के लिये आते समय अन्यथी रेल/बस की छतों एवं पायदानों पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैण्ड/रेलवे स्टेशन और रास्तों में तौड़फोड, लूटपाट, हुड़दग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़बानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाए रखें।
3. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, वर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्थाई का पारदर्शी बालपेन, 2.5×2.5 सेमी. का एक फोटो (01 माह से अधिक पुराना न हो), एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ई-प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते हैं। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब किया जा सकता है तथा उनकी सुचना की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीकरण/संचालक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं होगी।
4. जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहाँ मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित आवेदक के खिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साथनों की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2016 एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साथनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 वथा संशोधित के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी समिलित है।
5. सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का ब्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाईट www.rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
6. परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

17. ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया

बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। बोर्ड द्वारा जारी प्रिज्ञापित दिनांक 14.07.2023 द्वारा यदि किसी अन्यथी को अपने OTR में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि एवं लिंग में परिवर्तन करना है तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार/जनआधार में परिवर्तन करवाना होगा तत्पश्चात् OTR रक्कीन पर फेंच का बटन दबाना होगा जिससे आधार/जनआधार में दर्ज नवीन डाटा उसके OTR में स्वतः ही जा जायेगा। अन्यथी को अपने OTR में जारकाण श्रेणी, दिव्यांगजन श्रेणी एवं मूल निवास में वांछित संशोधन करने की अनुमति दी गयी है। अन्यथी संशोधन करने के उपरान्त ही ऑनलाइन आवेदन भरे। यदि अन्यथी भर्ती का ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर चुका है तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अवधि के दौरान भी उसे स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि एवं लिंग में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। अन्यथी को यदि आरक्षण श्रेणी/दिव्यांगजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करना होगा इससे उसे स्वयं के ऑनलाइन आवेदन में पूर्ण में भरे गये आरक्षण श्रेणी/दिव्यांगजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करने का विकल्प उपलब्ध हो जायेगा, जिसे उपयोग में लेकर वह वांछित संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अन्यथी ऑनलाइन आवेदन में फोटो, हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है।

शेष सूचनाओं में वह संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-

- i. यदि कोई अन्यथी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/- रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में अन्यथी फोटो, हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है यथा नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग हस्त्यादि। शेष प्रविशिष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। शैक्षणिक योग्यता में अन्यथी अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में ही संशोधन कर सकते हैं। इसके पश्चात् शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में बोर्ड/प्रिज्ञापिता का नाम, रोल नं., उत्तीर्ण वर्ष हस्त्यादि में कोई संशोधन नहीं कर सकेगा। बोर्ड द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 27.07.2023 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के लिये One Time Registration (OTR) में शैक्षणिक योग्यता में केवल मात्र एकवारीय संशोधन की अनुमति दी गयी है। सर्वप्रथम अन्यथी अपने OTR में शैक्षणिक योग्यता में वांछित संशोधन कर लेवे। अन्यथी संशोधन करने के उपरान्त ही ऑनलाइन आवेदन भरे। यदि अन्यथी भर्ती का ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर चुका है तो ऐसी स्थिति में अन्यथी को शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने हेतु पहले OTR पेज पर स्वयं की

Signature valid

RajKaj Ref
12403987

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.27 17:03:27 IST
Reason: Approved

शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करना होगा इससे उस शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने का विकल्प स्थाय के ऑनलाईन आवेदन में ऑनलाईन आवेदन को संशोधित करने की अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा, जिसे उपयोग में लेकर वह शैक्षणिक योग्यता में वाचित संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी।

- ii. यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात ऑनलाईन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जायेगा जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाईन संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय की सूचना पृष्ठक से बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क 300/- रुपये ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान भुगतान कर संशोधन कर सकेगा।
- iii. इसके पश्चात ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

18.ऑनलाईन आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया:—बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अर्थात् संबंधित प्रमाण पत्र घासित नहीं होने के उपरान्त भी अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भर दिया है तो ऐसे आवेदक ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ऑनलाईन संशोधन करवाये जाने के पश्चात आगामी 07 दिवस के भीतर SSO Portal पर Login कर Recruitment Portal का बयन कर My Recruitment Section के अन्तर्गत संबंधित परीक्षा के सम्बन्ध उपलब्ध Withdraw Button पर क्लिक कर अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) कर सकें। विज्ञापन के अनुसार घासित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा पात्रता जांच उपरान्त विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

19.श्रुत लेखन की सुविधा:—सामान्यतया: सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर रखने अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान विद्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन (Blind) सूर्यमुखी एवं अल्पदृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टि निःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्त (जो बाह करे होने या असुलिया नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जायेंगे, परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वाचित विकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करे एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम 02 दिवस पूर्व आवेदित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के सामना उपरिधित होकर वाचित विकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करे और प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित एक प्रतिकेन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी। साथ ही बोर्ड की वेबसाईट पर जारी श्रुतलेखक के लिये दिशा-निर्देशों का आवश्यक रूप से अपलोड करें।

20.अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान :-

- i. कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.08.2024 द्वारा पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा की जायेगी। अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में समूचित निर्णय संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।
- ii. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य सत्या/विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिग्री/डिप्लोमा को स्वीकार/मान्य नहीं किया जायेगा। अतः आवेदक सावधानीपूर्वक अपनी शैक्षणिक योग्यता ऑनलाईन आवेदन में भरें।
- iii. अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरान्त अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्त हेतु पात्र है।
- iv. आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सकाम अधिकारी द्वारा जारी मूल नियास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
- v. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सकाम प्राधिकारी द्वारा जारी

Signature valid

RajKaj Ref
12403987

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.27 17:03:27 IST
Reason: Approved

किया गया हो। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आसक्षण का लाभ प्रमाण-पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सहम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जावेगा।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 के अनुसार उक्त परिपत्र के अन्त में निम्न परन्तुक जोड़ा गया है:-

“यदि किन्ही कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ-पत्र लिखा जावे कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।”

vi. जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि:- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण-पत्र दिशा-निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार :-

- i. अनुसूचित जाति / जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि ओर्डीसी के लिये संक्षी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा परन्तु किमीलेयर में नहीं होने संक्षी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।
 - ii. किमीलेयर में नहीं होने संक्षी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार किमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्राची आगामी वर्ष में भी किमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।
 - iii. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा।
- vii. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सहम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।**
- viii. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / सहरिया आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सहम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / सहरिया आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिये आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास के आधार पर सहम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।**
- ix. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक एक110/आ.क.य/डीडीपीसी/सान्याअपि/19/28046 दिनांक 06.06.2022 के द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्राची आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमज़ोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्राची से सत्यापित संलग्न शपथ-पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जावेगा, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है।**
- x. दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक एवं प्रशीक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।**
- xi. भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक का सहम स्तर से जारी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/एन ओ सी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।**
- xii. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों हेतु सहम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक का हो का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के पदों का लाभ देय होगा।**

RajKaj Ref
12403987

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.27 17:03:27 IST
Reason: Approved

- xiii. विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज़ / साक्ष्य जिसमें उसके पति का नाम अकित हो यथा विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र पति के नाम से जारी मूल नियास/ जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
- xiv. परित्यक्ता / विवाह विच्छिन्न श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विवेद की डिली/आदेश प्रस्तुत करने पर ही हस श्रेणी हेतु पत्र माना जायेगा।
- xv. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13 / 2006 दिनांक 22.05.2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह-पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहनीय है।
- xvi. विवाहित महिलाओं के लिये संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है और परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- xvii. अभ्यर्थी को अंतिम शीक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अकित होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनताम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है।
- xviii. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त आवरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक के विलद ऐसी किसी आपराधिक घास का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में शाधा/समस्या उत्पन्न हो। किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर कार्यक्रम के परिपत्र क्रमांक प.(1)कार्यक्रम/क-2 / 2016 दिनांक 04.12.2019 के प्रावधानुसार अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण किया जायेगा।
- xix. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकित्सा जांच संबंधी विकित्सा प्रमाण पत्र यथासमय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि वह पूर्ण रूप से त्वरित है एवं राज्य सेवा के लिये पूर्णतः उपयुक्त है।
- xx. ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपकरणों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उपकरणों में कार्यरत् है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को पूर्ण सेवा से त्याग-पत्र देकर नव-नियुक्ति के समय त्याग-पत्र स्वीकार करने सम्बन्धी आदेश प्रस्तुत करना होगा।
- xxi. उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक के जारी होने अनिवार्य है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर यह दिशेष का लाभ देय नहीं होगा।
- xxii. आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच, परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के उपरान्त दस्तावेज़ सत्यापन के समय की जायेगी, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह उम्मीदी आपत्र माना जायेगा, जानवृड़ा कर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विलद नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जासकती है।

21. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:—आवेदकों को अपने ऑनलाइन आवेदन में समस्त सूचना सही—सही अकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विलद बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जासकती है। परीक्षार्थियों को साक्षात् किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के

RajKaj Ref
12403987

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.27 07:03:27 IST
Reason: Approved

अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) के प्रावधानों के तहत यथा घोषित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न-पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रुपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा घटयांत्र या अधिनियम घोषित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रुपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।

22. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :-

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम

क्र.सं.	विषय	प्रश्न-120		समय
		अनुभावित प्रश्न संख्या	कालावधि	
1	सामान्य हिन्दी	30		
2	सामान्य अंग्रेजी	15		
3	सामान्य ज्ञान :- भूगोल इतिहास, कला एवं संस्कृति (राजस्थान) भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष सन्दर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था सामान्य विज्ञान सम-नामधिक घटनाएं बैंसिक कम्प्यूटर	50 10 10 10 05 10 05	2 घंटे	
4	सामान्य गणित	25		
		कुल	120	

Pattern of Question Papers:

1. Objective Type Question Paper.
2. Maximum Marks: 200
3. Number of Questions: 120
4. Duration of Paper: Two Hours.
5. All Questions carry equal marks.
6. Negative Marking. 1/3 mark will be deducted for each wrong answer.
7. The standard of the paper will be that of the Secondary Examination of the Board of Secondary Education, Rajasthan.

RajKaj Ref
12403987

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.27 07:03:27 IST
Reason: Approved

पाठ्यक्रम

क्र.सं.	विषय विवरण
1.	<p>सामान्य हिन्दी</p> <p>संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण, तत्सम तदभव, देशज एवं विदेशी शब्द, संधि— अर्थ, प्रकार एवं संधि-पिच्छेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द- शुद्धि, वाक्य शुद्धि (वर्तनी सम्बन्धित अशुद्धि को छोड़कर वाक्य से सम्बन्धित अशुद्धियों), कात के प्रकार (भेद), मुहावरे एवं लोकोक्ति, अग्रेजी के पारिभाषिक (तकनीकी) शब्दों के समानार्थक हिन्दी शब्द, कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान (यथा कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, नियिदा एवं अद्वारालकीय पत्र इत्यादि)।</p>
2.	<p>General English</p> <p>Tenses / Sequence of Tenses, Voice : Active and Passive, Narration : Direct and Indirect, Transformation of Sentences: Assertive to Negative, Interrogative, Exclamatory and Vice-Versa, Correction of sentences, words wrongly used, Use of articles and determiners, prepositions, punctuation, Translations of Simple (Ordinary/Common) Sentences from Hindi to English and Vice-Versa, Glossary of official, Technical Terms (with their Hindi Versions).</p>
3.	<p>भूगोल</p> <p>राजस्थान— रियल्टी, विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनरपत्तियाँ व वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र व झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ, जनसंख्या— आकार, गुण, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साकरता, राजस्थान का परिवहन व राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन इत्यादि।</p>
Geography	
<p>Rajasthan- location, extent, physiography and physical division, soil, natural vegetation and forest conservation, climate, water resource, drainage system and lakes, major irrigation projects, population- size, growth, distribution, density, sex ratio and literacy, transport of Rajasthan & state roads, Disaster Management & Climate Change etc.</p>	
<p>राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति</p> <p>ऐतिहासिक घटनाएँ, स्थानीय जानकारी, ऐकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वैशम्भवा, वाटा यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियाँ, मेले और त्यौहार, आनूषण, लोक कलाएँ, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल व स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हरितर्याँ इत्यादि।</p>	
<p>History, Art and Culture of Rajasthan</p> <p>Main historical events, freedom movement, integration, important personalities, language and literature, folk culture and social life, costumes, musical instruments, folk deities, folk literature, dialects, fair & festivals, ornaments, folk art, architecture, folk music, dance, theatres, tourist places and monuments, celebrities of Rajasthan from historical and cultural point of view etc.</p>	
<p>भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष सन्दर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था</p> <p>संविधान का परिचय एवं आधारभूत लक्षण, राज्य शासन एवं राजनीति के गुणपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमण्डल, विधानसभा तथा</p>	

Signature valid

RajKaj Ref
12403987

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.12 17:03:27 IST
Reason: Approved

न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक दांवः मुख्य सचिव, जिला प्रशासन (सामान्य प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन), जिला स्तर पर न्यायिक दांव, सूचना का अधिकार अधिनियम हत्यादि।

Indian Constitution and political and administrative system with special reference to the state of Rajasthan.

Introduction and basic features of the constitution, state governance and politics - governor, chief minister and cabinet, legislative assembly and judiciary, administrative structure of the state: chief secretary, district administration (general administration and police administration), judicial structure at the district level, right to information act etc.

सामान्य विज्ञान

भौतिक एवं सामायिक परिवर्तन, ध्रातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, आनुवाशिकी से सब्धित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर : संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक एवं निदान, अपशिष्ट प्रबन्धन

General Science

Physical and chemical changes, Metals, non-metals and major compounds, Reflection and laws of light, General terminology related to genetics, Human body: structure, organ systems, Major human diseases, causes and diagnosis, waste management.

प्रमुख सम-सामयिक घटनाएं

सेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी सब्धी एवं तकनीकी शब्द से सब्धी मुद्रे हत्यादि। राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्रे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीति हत्यादि।

Major current events

Issues related to sports, politics, economy, social, geographical, cultural, ecological and technical fields etc, State & national issues, Famous personalities, State & national program and policy etc.

कंप्यूटर

कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन – हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर – ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर हत्यादि। कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन – एमएस वर्ड, एमएस एक्सल, एमएस पॉवर पॉइंट, हार्डरनेट, इमेल हत्यादि।

Computer

Overview of computer system- hardware devices, software – operating system and application software etc .Overview of office applications – MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet, E-mail etc.

गणित

महत्तम समाप्तिक एवं लघुतम समाप्तिक, औसत, लाभ-हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज अनुपात-समानुपात, साजा, समय एवं कार्य, समय, चाल एवं दूरी, औंकारों का विचार द्वारा निरूपण हत्यादि।

Maths

Hcm&Lcm, average, profit-loss, percentage, simple interest, compound interest, ratio-proportion, partnership, time and work, time, speed and distance, representation of data through pictures etc.

बोर्ड द्वारा जायोजित की जाने वाली सभी वर्षतुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्ट करवाये जाने हेतु ओएमआर उत्तरपत्रक में पांचवा विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किये गये हैं :-

1. प्रत्येक प्रश्न के 05 विकल्प A, B, C, D, E. अकित रहेंगे। उनमें से अध्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तरपुरितका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा।

RajKaj Ref
12403987

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.27 07:03:27 IST
Reason: Approved

Each question has five options marked as A, B, C, D, E. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.

2. प्रत्येक प्रश्न के लिये विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा।

It is mandatory to fill only one of the options for each question.

3. यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिये पाँचवा विकल्प E को गोला गहरा करना होगा। यदि पाँचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10 प्रतिशत प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाये जावेंगे।

If you are not attempting a question then you have to darken the circle 'E'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.

4. प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निम्नरिक्त समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जावेगा।

After solving question paper, candidate must ascertain that he\she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the question. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.

5. जिस अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों को किन्हीं पाँच गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जावेगा।

A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% question shall be disqualified.

23. बोर्ड की वेबसाईट:—अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाईट www.rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्थान कक्ष पर व्यवितमत रूप से अथवा दूसरा नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबन्ध संरचना परिसर दुर्गापुर, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(डॉ. बी.सी. बधाल)
सचिव

RajKai Ref
12403987

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.12 17:03:27 IST
Reason: Approved